UPSP010071962026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस. एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी– निशान्त देव, उच्चतर न्यायिक सेवा (जे.ओ.कोड– यू.पी.1704)
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–3037/2026

अमन सिंह पुत्र महीपाल सिंह, निवासी गोचर थाना कर्णप्रयाग, जिला चमोली ।

.... **प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

राज्य .... **अभियोजन**

मु.अ.सं.– 110/2026
धारा– 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना– बिहारीगढ़, जिला– सहारनपुर।

23–07–2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **अमन सिंह** पुत्र महीपाल सिंह द्वारा मु0अ0सं0–110/2026 धारा–8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना बिहारीगढ़, जिला सहारनपुर के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ अंकित भण्डारी पुत्र महीपाल सिंह भण्डारी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अभियुक्त का इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय में ना तो प्रस्तुत किया गया है, ना विचाराधीन है और ना ही निरस्त हुआ है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 03.07.2026 को वादी मुकदमा उ0नि0 मोहित कुमार मय अन्य पुलिस कर्मचारीगण के बहवाले रपट संख्या 23 समय 08:57 बजे चौकी मोहण्ड पुराना रोड पर पहुंचे और चौकी के सामने लोहे के बैरियर लगाकर आने जाने वाले व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि तभी सहारनपुर की ओर से एक सफेद रंग की एक्स यू वी 700 कार नं0 UK07FN7744 आती दिखायी दी जिसको बैरियर लगाकर चैकिंग हेतु रोका गया तो बड़ी मुश्किल से गाड़ी के सामने बैरियर अढ़ाकर गाड़ी को रुकवाया गया और गाड़ी मे सवार चारो व्यक्तियों को गाड़ी से नीचे उतार कर नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी लेते हुये ना रुकने का कारण पूछा तो चारो व्यक्तियो ने एक स्वर में बताया कि हम चारों लोगो के पास नाजायज **कोकीन** है। धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों से अवगत कराते हुये चारो व्यक्तियो से कहा की आपको अपनी तलाशी किसी मजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी के समक्ष दिलाने का अधिकार है। जिस पर चारो व्यक्तियो ने कहा कि आपने हमे पकड़ ही लिया है तो आप ही हमारी तलाशी ले लें। धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत सहमति पत्र प्राप्त करते हुये, गाड़ी की ड्राइवर सीट से नीचे उतारे गये पहले व्यक्ति ने अपना नाम **अमन सिंह** पुत्र महीपाल सिंह निवासी ग्राम गोचर थाना कर्णप्रयाग जनपद चमोली उत्तराखण्ड हाल पता किराये का मकान बी–141 सेक्टर 4 डिफैन्स कालोनी देहरादून बताया। जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो इसने पहने लोवर की बायीं जेब से अपने हाथ से स्वंय निकालकर एक सफेद रंग की पिन्नी के अन्दर रखी हुयी 05 छोटी–छोटी गोलाकार की पुडिया जिनके ऊपर काली टेप लिपटी हुयी है देते हुये बताया कि इनके अन्दर **कोकीन** है। एक पुडिया को खोलकर देखा गया तो पुडिया के अन्दर सफेद रंग का टुकड़ा रखा हुया है जिसको सुंघा व सुघाया गया तो फीकी सी गंध आ रही है। पुडिया को पुनः टेप से लपेटकर उसी पिन्नी में रखकर पिन्नी सहित विवेचना किट से इलेक्ट्रोनिक काटा निकालकर वजन किया तो पिन्नी सहित पुडियों का कुल वजन **09.45 ग्राम** है। चालक की सीट के बराबर से उतारे गये दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम **अभिषेक** पुत्र अनिल कुमार निवासी मकान नं0 54

गली नं0 09 गुलाब वाटिका थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद हाल पता किराये का मकान फ्लैट नं0 101 दिलकिशा ऐबेन्यू –3 लेन नं0 2 भीमा बिहार आईटी पार्क देहरादून बताया। जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो इसने पहने जीन्स की पैन्ट दाहिने जेब से स्वंय अपने हाथ से निकालकर एक सफेद रंग की पिन्नी के अन्दर रखी हुयी 05 छोटी–छोटी गोलाकार की पुडिया जिनके ऊपर काली टेप लिपटी हुयी है देते हुये बताया कि इनके अन्दर **कोकीन** है एक पुडिया को खोलकर देखा गया तो पुडिया के अन्दर सफेद रंग का टुकड़ा रखा हुया है जिसको सूंघा व सुंघाया गया तो फीकी सी गंध आ रही है। पुडिया को पुनः टेप से लपेटकर उसी पिन्नी में रखकर पिन्नी सहित विवेचना किट से इलेक्ट्रोनिक काटा निकालकर वजन किया तो पिन्नी सहित पुडियों का कुल वजन **09.14 ग्राम** है। कार की पीछे वाली सीट से उतारे गये तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम **विवेक** पुत्र स्व० मोहर सिंह निवासी सी 77 एम शास्त्री नगर ज्वालापुर जनपद हरिद्वार बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो इसने पहने जीन्स की पैन्ट बाये जेब से स्वंय अपने हाथ से निकालकर एक सफेद रंग की पिन्नी के अन्दर रखी हुयी 05 छोटी–छोटी गोलाकार की पुडिया जिनके ऊपर काली टेप लिपटी हुयी है देते हुये बताया कि इनके अन्दर **कोकीन** है एक पुडिया को खोलकर देखा गया तो पुडिया के अन्दर सफेद रंग का टुकड़ा रखा हुया है जिसको सुंघा व सुघाया गया तो फीकी सी गंध आ रही है। पुडिया को पुनः टेप से लपेटकर उसी पिन्नी में रखकर पिन्नी सहित विवेचना किट से इलेक्ट्रोनिक काटा निकालकर वजन किया तो पिन्नी सहित पुडियों का कुल वजन **09.56 ग्राम** है। गाड़ी के पिछली सीट से उतारे गये चौथे व्यक्ति ने अपना नाम **राजू** पुत्र राजा निवासी जमालपुर खुर्द थाना बहादराबाद जनपद हरिद्वार बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो इसने पहने जीन्स की पैन्ट बायी जेब से स्वंय अपने हाथ से निकालकर एक सफेद रंग की पिन्नी के अन्दर रखी हुयी 05 छोटी–छोटी गोलाकार की पुडिया जिनके ऊपर काली टेप लिपटी हुयी है देते हुये बताया कि इनके अन्दर **कोकीन** है एक पुडिया को खोलकर देखा गया तो पुडिया के अन्दर सफेद रंग का टुकड़ा रखा हुया है जिसको सुंघा व सुघाया गया तो फीकी सी गंध आ रही है। पुडिया को पुनः टेप से लपेटकर उसी पिन्नी मे रखकर पिन्नी सहित विवेचना किट से इलेक्ट्रोनिक काटा निकालकर वजन किया तो पिन्नी सहित पुडियों का कुल वजन **09.56 ग्राम** है। बरामद कोकीन को पास रखने के सम्बन्ध मे पकड़े गये चारों व्यक्तियो से लाईसेंस तलब किया गया तो दिखाने में कासिर रहे। चारो व्यक्तियो से कोकीन लाने के सम्बन्ध मे सख्ती के साथ पूछताछ करने पर चारों द्वारा बताया गया कि **साहब यह कोकीन हम चारों लोग दिल्ली हौज खास से एक व्यक्ति से 05–05 ग्राम के हिसाब से लेकर आये है। गाड़ी नं0 UK07FN7744 के बारे में पूछताछ पर अमन द्वारा बताया गया कि यह मेरी गाड़ी है और मेरे ही नाम है। किन्तु इस समय मेरे पास इसके कोई कागजात नही है और हमेशा हम लोग जब दिल्ली से कोकीन लेने जाते है तो इसी गाड़ी का प्रयोग करते है और इसी गाड़ी से कोकीन लाते ले जाते है।** अभियुक्तगण के पास से नाजायज कोकीन बरामद हुयी है। पकड़े गये चारो व्यक्तियो को इनके जुर्म से अवगत कराते हुये समय करीब 12.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। उक्त आधार पर अभियुक्तगण अमन सिंह, अभिषेक, विवेक व राजू के विरुद्ध धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग दर्ज किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त अमन सिंह द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है और तर्क प्रस्तुत किया है कि वाद उक्त में प्रार्थी को झूठा अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी को पुलिस ने रंजिशन वाद उपरोक्त में झूठा मुलजिम बनाया है। प्रार्थी व सहअभियुक्तगण आपस में मेली जोली व दोस्त हैं, जिसमें प्रार्थी अमन प्रोपर्टी डीलिंग का कार्य करता है तथा अभियुक्त विवेक की स्वयं की शिव यात्रा टैवर्ल्स के नाम से टूर एण्ड टैवर्ल्स की एजेन्सी है। अभियुक्तगण अभिषेक व राजू अभियुक्त विवेक की उक्त एजेन्सी में ड्राईवर का काम करते हैं तथा प्रार्थी व सहअभियुक्तगण अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। सच्चाई यह है कि प्रार्थी की पुलिस से गाड़ी के कागज दिखाने को लेकर कहासुनी हो गयी थी, जिस बात से नाजाज होकर पुलिस ने प्रार्थी से झूठा बरामदगी दिखाकर उपरोक्त वाद में चालान कर दिया है। पुलिस ने उक्त मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 52, 50, 57 के आज्ञापक प्रावधानों का कोई पालन नहीं किया है, जो कथित बरामदगी दर्शायी है, वह विधि विरुद्ध है। झूठा सहमति पत्र थाने पर तैयार किया गया है। पुलिस द्वारा किसी भी पब्लिक के आदमी को गवाह नहीं बनाया है। प्रार्थी दिनांक 03.07.2026 से जिला कारागार में बंद है। प्रार्थी का आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान वाद जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन0डी0पी0एस0 एक्ट) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध

करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस कर्मियों द्वारा एक ही कार में सवार प्रार्थी/अभियुक्त **अमन सिंह** तथा सहअभियुक्तगण **अभिषेक, विवेक** व **राजू** को मौके से एकसाथ पकड़े जाने पर जामातलाशी में उनके कब्जे से क्रमशः 9.45 ग्राम, 9.14 ग्राम, 9.56 ग्राम व 9.56 ग्राम (कुल 37.71 ग्राम) **अवैध कोकीन** की बरामदगी हुई है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरांत अपराध की पुनरावृत्ति करेगा तथा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन0डी0पी0एस0 एक्ट) एवं प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं प्रस्तुत तर्कों के परिपेक्ष्य में प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उपलब्ध प्रपत्रों के परिशीलन से स्पष्ट है कि मामले में पुलिस कर्मियों द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त **अमन सिंह** तथा सहअभियुक्तगण **अभिषेक, विवेक** व **राजू** को मौके से पकड़े जाने पर जामातलाशी में उनके कब्जे से क्रमशः **9.45 ग्राम**, **9.14 ग्राम**, **9.56 ग्राम** व **9.56 ग्राम** (कुल **37.71 ग्राम**) **अवैध कोकीन** की बरामदगी होना अभिकथित है। उपरोक्त बरामद कोकीन के विषय में **केन्द्रीय सरकार के नोटिफिकेशन का आ.1055 (ई). दिनांक 19.10.2001 केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)** के सारणी में निम्न इन्द्राज हैः–

नोटिफिकेशन में क्र. सं.	पदार्थ का नाम	अल्पमात्रा	वाणिज्यिक मात्रा	मामले में बरामदगी
27	कोकीन	2 ग्राम	100 ग्राम	9.45 + 9.14 + 9.56 + 9.56 = **37.71 ग्राम**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से बरामद कोकीन की मात्रा, वाणिज्यिक मात्रा से तो कम है, लेकिन अल्पमात्रा से काफी अधिक है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि "प्रार्थी व सहअभियुक्तगण आपस में मेली जोली व दोस्त हैं।" मामले में घटना के समय प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण को एक ही कार के अन्दर सवार होना तथा उक्त चारो अभियुक्तगण द्वारा दिल्ली से एक ही व्यक्ति से उक्त कोकीन लाना दर्शाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा संगठित होकर अपराध कारित किया जाना दर्शित है। मामले में बरामदगी की मात्रा अधिक है, अपराध गम्भीर प्रकृति का है। मामले की विवेचना अभी प्रचलित है। स्वापक औषधियों एवं मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से बड़ी संख्या में जन समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, गुणदोष पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **अमन सिंह** पुत्र महीपाल सिंह की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–110/2026, अन्तर्गत धारा–8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना बिहारीगढ़, जिला सहारनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक– 23–07–2026

(निशान्त देव)
विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस० एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12,
सहारनपुर ।
(जे.ओ. कोड–यू.पी.1704)

Digitally signed by Nishant Dev
Date: 2026.07.23 16:06:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Saharanpur